भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 274

सोमवार, 2 फ़रवरी, 2026/13 माघ, 1947 (शक)

केरल के समुद्री मत्स्यपालन क्षेत्र में प्रवासी कामगार

†274. डॉ. शशि थरूर:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मत्स्यपालन क्षेत्र में कार्यबल का एक बड़ा भाग, प्रवासी कामगार स्थानीय मज़दूरों की तुलना में काफी कम धन अर्जित करता है, वे मत्स्यन संबंधी कार्यों में औसतन 25,000 रुपये प्रतिमाह कमाते हैं, जबकि स्थानीय निवासी 30,000 रुपये कमाते हैं, और मत्स्यन संबंधी कार्यों के बाद के कार्यों में मात्र 11,000 रुपये प्रतिमाह कमाते हैं;

(ख) यदि हाँ, तो सरकार ने ऐसे मज़दूरों के लिए न्यूनतम मज़दूरी कानूनों का पालन सुनिश्चित करने, कार्य करने की अच्छी स्थिति और मानवीय जीवन स्तर के लिए क्या कदम उठाए हैं; और

(ग) पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष में केरल के मत्स्यपालन क्षेत्र में सामाजिक सुरक्षा संहिता तथा उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता के अंतर्गत किए गए निरीक्षण, संपरीक्षा या प्रवर्तन कार्यों का ब्यौरा क्या है, साथ ही उल्लंघन किए गए कार्यों और लगाई गई शास्ति का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (ग): भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अंतर्गत मत्स्य पालन एक राज्य का विषय है। मत्स्य पालन क्षेत्र में, संबंधित राज्य सरकार न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करती है।

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के प्रावधानों को तर्कसंगत बनाया गया है और मजदूरी संहिता, 2019 के अंतर्गत समाहित किया गया है, जिसे दिनांक 21.11.2025 से प्रभावी बनाया गया है। मजदूरी संहिता, 2019 के प्रावधानों के तहत, केंद्र सरकार और राज्य सरकारें, समुचित सरकार के रूप में, अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी नियोजनों के लिए न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण, समीक्षा और संशोधन करती हैं।

जारी..2/-

अन्तरराज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्त) अधिनियम, 1979 को उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशाएं (ओएसएच) संहिता, 2020 में समाहित किया गया है। ओएसएच संहिता, प्रवासी कामगारों सहित संगठित और असंगठित कामगारों की सभी श्रेणियों के लिए गरिमापूर्ण कार्यदशाएं, न्यूनतम मजदूरी, शिकायत निवारण तंत्र, टोल-फ्री हेल्पलाइन और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है।

ओएसएच संहिता, 2020 में, एक अंतरराज्यिक प्रवासी कामगार को ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है जो किसी प्रतिष्ठान में नियोजित है और जिसे नियोक्ता द्वारा सीधे या किसी ठेकेदार के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से एक राज्य में, दूसरे राज्य में स्थित ऐसे प्रतिष्ठान में नियोजन के लिए भर्ती किया गया है; या जो स्वयं एक राज्य से आया है और दूसरे राज्य के किसी प्रतिष्ठान में नियोजन प्राप्त किया है; या जिसने बाद में ऐसे नियोजन हेतु किसी समझौते या अन्य व्यवस्था के तहत गंतव्य राज्य के भीतर प्रतिष्ठान बदल लिया है और जिसका वेतन 18,000/- रुपए प्रति माह से अधिक नहीं है।

केंद्रीय क्षेत्र में, प्रवर्तन, मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) के निरीक्षण अधिकारियों के माध्यम से किया जाता है, जिन्हें सामान्यतः केंद्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र (सीआईआरएम) के रूप में नामोदिष्ट किया जाता है, और राज्य क्षेत्र में अनुपालन राज्य प्रवर्तन तंत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाता है।

चूंकि, भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अंतर्गत मत्स्य पालन एक राज्य का विषय है, इसलिए मत्स्य पालन क्षेत्र के तहत निरीक्षण, लेखा परीक्षा और प्रवर्तन संबंधित राज्य सरकारों द्वारा किए जाते हैं।
